न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
29 / 2018 / प्रा.पत्र / 2018	03.04.2018	20.01.2023

मदनलाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
............आवेदक

बनाम

1–श्री कैलाश चन्द जैन पुत्र स्व. श्री लादूलाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स कैलाश किराणा स्टोर हनुतिया रोड नानेर तह. पीपलू जिला टोंक निवासी ग्राम नानेर तह. पीपलू जिला टोंक
2–मैसर्स कैलाश किराणा स्टोर हनुतिया रोड नानेर तह. पीपलू जिला टोंक निवासी ग्राम नानेर तह. पीपलू जिला टोंक
3–श्री त्रिलोकीनाथ गुप्ता प्रोपरायअर मैसर्स त्रिलोकीनाथ गुप्ता कल्याण भवन तेलियों की गली छोटा तख्ता टोंक जिला टोंक
4–मैसर्स त्रिलोकीनाथ गुप्ता कल्याण भवन तेलियों की गली छोटा तख्ता टोंक जिला टोंक
5–श्री रमेश सैनी पुत्र श्री मूलचन्द सैनी निवासी राकडिया की ढाणी, मयूरा होटल के पीछे, शाहपुरा जिला जयपुर राज. प्रोपरायटर मैसर्स श्री तुलसी कृपा गृह उद्योग एनएच–8, मयूरा होटल के पास, शाहपुरा जिला जयपुर राज.
7–मैसर्स श्री तुलसी कृपा गृह उद्योग एनएच–8, मयूरा होटल के पास, शाहपुरा जिला जयपुर राज.
..............अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफएसएसए एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री पवित्र मिश्रा उप.।

:–निर्णय–: दिनांक 20.01.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.10.2017 को समय 10:25 पी.एम पर कैलाश किराणा स्टोर हनुतिया रोड नानेर तह. पीपलू जिला टोंक निवासी ग्राम नानेर तह. पीपलू जिला टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर श्री कैलाश चन्द जैन पुत्र स्व. श्री लादूलाल जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री कैलाश चन्द जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ. होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री कैलाश चन्द जैन की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **मिल्क रस्क लवली फ्रेश एण्ड क्रिस्पी मूल पैक (Milk Rusk Lovely Fresh & Crispy Origional**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Pack) जिसके बैच नं. 12 एवं पैकिंग की दिनांक अनुपस्थित थी, 200–200 ग्राम के 22 पैकेट रखे हुये थे जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री कैलाश चन्द जैन को फार्म न. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर बताकर कि यह **मिल्क रस्क लवली फ्रेश एण्ड क्रिस्पी मूल पैक (Milk Rusk Lovely Fresh & Crispy Origional Pack)** वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 200–200 ग्राम के 4 पैकेट खरीदे, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **मिल्क रस्क लवली फ्रेश एण्ड क्रिस्पी मूल पैक (Milk Rusk Lovely Fresh & Crispy Origional Pack)** को ज्यों का त्यों लेकर चार अलग–अलग साफ व सूखे प्लास्टिक के चौकोर डिब्बे में रखकर नियमानुसार चार भाग तैयार किए एवं चारों नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1749 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1749 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारो नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री कैलाश चन्द जैन ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स त्रिलोकीनाथ गुप्ता कल्याण भवन तेलियों की गली छोटा तख्ता टोंक जिला टोंक का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपड़ी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक द्वारा मैसर्स त्रिलोकीनाथ गुप्ता कल्याण भवन तेलियों की गली छोटा तख्ता टोंक से सम्पर्क किए जाने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स श्री तुलसी कृपा गृह उद्योग एनएच–8, मयूरा होटल के पास, शाहपुरा जिला जयपुर राज. का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर इसे उक्त खाद्य पदार्थ का निर्माता व पैंकिंगकर्ता बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./17/4782 दिनांक 04.12.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./679/एक्ट/2017/677 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया गया

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

मिल्क रस्क लवली फ्रेश एण्ड क्रिस्पी मूल पैक (Milk Rusk Lovely Fresh & Crispy Origional Pack) एफ.एस.एस.ए. की धारा 2(ii) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की ओर से दिनांक 06.01.2023 को श्री पवित्र मिश्रा एडवाकेट उपस्थित हुए एवं अपनी बहस में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। आज दिनांक 20.01.2023 को अप्रार्थी सं. 5 व 6 की ओर से भी श्री पवित्र मिश्रा एडवाकेट उपस्थित हुए एवं अपनी बहस में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मिल्क रस्क लवली फ्रेश एण्ड क्रिस्पी मूल पैक (Milk Rusk Lovely Fresh & Crispy Origional Pack)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **नमकीन कृष्णा ब्राण्ड (Namkeen Krishna Brand)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है तथा अप्रार्थी ने भी अपना जुर्म स्वीकार कर लिया हैं। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 ता 4 पर दिनांक 06.01.2023 को कुल शास्ति रूपये 15,000/-(अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) आरोपित की जा चुकी हैं तथा अप्रार्थी सं. 5 व 6 पर आज दिनांक 20.01.2023 को कुल शास्ति रूपये 10,000/- (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 20.01.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(शिव चरण मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0